न्यायालय–सत्र न्यायाधीश, लखीमपुर–खीरी।

उपस्थित– शिव कुमार सिंह (एच0जे0एस0)

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–120/2026

कम्प्यूटर पंजीकरण संख्या–909/2026

CNR No.-UPLP 01001870 2026

पूनम शुक्ला बनाम सरकार उ0प्र0।

22.04.2026

1. अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र सुनवाई हेतु पेश हुआ। पुकार पर प्रार्थिनी/अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा स्थगन प्रार्थना–पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण आज बहस हो पाना संभव नहीं है, अन्य तारीख देने की कृपा करें।

2. अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र के अवलोकन से विदित है कि प्रार्थिनी/अभियुक्ता की ओर से यह अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र दिनॉक–13.03.2026, को प्रस्तुत किया गया था, जिसमें सुनवाई हेतु दिनॉक–23.03.2026 नियत की गयी थी। अग्रिम जमानत की सुनवाई हेतु पूर्व में नियत तिथियॉ 23.03.2026, 02.04.2026 तथा 15.04.2026 पर भी प्रार्थिनी/अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा स्थगन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किये गये थे। आज पुनः प्रार्थिनी/अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा स्थगन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है, जबकि मामले से संबंधित समस्त अभियोजन प्रपत्र उपलब्ध हैं। उल्लेखनीय है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार जमानत प्रार्थना पत्र का निस्तारण 14 दिन के अन्दर तथा अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र का निस्तारण छः सप्ताह के अन्दर किया जाना अपेक्षित है। ऐसी स्थिति में प्रार्थिनी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना–पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

स्थगन प्रार्थना–पत्र निरस्त करते हुये, प्रार्थिनी/अभियुक्ता का अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र गुण–दोष पर कोई राय व्यक्त किये बिना निरस्त किया जाता है।

सत्र न्यायाधीश,
लखीमपुर–खीरी।
22.04.2026

Digitally signed by SHIVA KUMAR SINGH
Date: 2026.04.29 10:18:15 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court